

डिमाय प्राप्त, (शुल्क प्राप्त स्या लड
साम सिंलान है)



उत्तराखण्ड

" प्ररूप 26 "

13AA 955178

(नियम 4 का देखिए)

14- धनौली

निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड विधान सभा के लिये निर्वाचन के लिये, रिजर्वेशन के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र।

शपथ-पत्र

मैं, ज्योत सिंह बिष्ट पुत्र श्री स्व. विजय सिंह बिष्ट
आयु- 57 वर्ष, जो ग्राम- धरनालगाँव, पट्टी- गुंसाई,
तहसील- टिहरी,

जिला- टिहरी गढ़वाल का निवासी हूँ, का निवासी हूँ
और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ, शपथ पर
निम्नलिखित कथन करता हूँ :-

1- मैं ऐसे किसी लम्बित मामलें में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय
किसी अपराध (अपराधों) का अभियुक्त नहीं हूँ, जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले
न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया है/ किए गये हैं-

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का अभियुक्त है, तो वह
निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :

i- मामला, पेशा सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं- 04 सन 2008.

ii- मैं टिहरी, जिला- टिहरी गढ़वाल राज्य- उत्तराखण्ड,

(चौकी मानखाल)

क्रमशः-2-पर

Attested Photo Copy

Prakash Bhat
Advocate/Notary
Dhanolti/New Tehri
Tehri Garhwal
R.N. 07/08/2005

- iii- सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारायें) और उस अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है- 147, 323³²⁵, 504, 506,
- भारतीय दण्ड संहिता,
iv- न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई- मुख्य न्यायाधीश प्रभु
- दिल्ली न्यायालय,
v- तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/ किए गये थे- 04.02.2010
vi- क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है- जी नहीं,

2- मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951) (1951 का 43) की धारा-8 की उपधारा (1) या उप धारा (2) में निर्दिष्ट या उप धारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है, और एक वर्ष या अधिक के लिये कारावास से दण्डादिष्ट नहीं किया गया है।
(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :

- i- मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं- कोई नहीं,
ii- न्यायालय, जिसने दण्डित किया है- कोई नहीं
iii- पुलिस थाना (थाने)- कोई नहीं, जिला (जिलों)- कोई नहीं राज्य- कोई नहीं,
iv- सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारायें) और उस अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है- कोई नहीं
v- तारीख (तारीखें) जिनको आरोप दण्डादेश सुनाया गया था/ सुनाए गये थे- कोई नहीं
vi- क्या दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/ रोके गये हैं- कोई नहीं

स्थान- नई टिहरी।
तारीख- 11.01.2012

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता हूँ कि इस शपथ पत्र के अर्न्तवस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है, और कोई तात्विक बात छिपाई नहीं गई है।

स्थान नई टिहरी, दिनांक- 11.01.2012 को सत्यापित किया।

Attested Photo Copy

Prem Singh Bisht
Advocate/Notary
Dhanolti/New Tehri
Tehri Garhwal
R.N. 07/08/2005

Solemnly affirmed by Deponent
Shri. Prem Singh Bisht
R/o. Dhanolti, New Tehri
Distt. Tehri Garhwal
On 11.01.2012

PREM SINGH BISHT
Advocate
Notary Dhanolti
Tehri Garhwal

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर